

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 12.2.13

अधि.सं.-01/स्था.स्थाना./पद.-11-04/2011-904/ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता(असैनिक/याँत्रिक) (चालू प्रभार/नियमित) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए प्रभारी अधीक्षण अभियंता(असैनिक/याँत्रिक) स्वतन्त्र चालू प्रभार के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि /गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री अर्जुन प्रसाद 1697/20.04.54/ नालंदा	कार्यपालक अभियंता बौध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), अग्रिम योजना अंचल, राँची	
2.	श्री विनोद कुमार वर्मा 1874/05.07.54/ बेगूसराय	कार्यपालक अभियंता नगर विकास विभाग	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02, राँची	
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह 1892/01.01.55/गया	तकनीकी सलाहकार जलपथ अंचल, हजारीबाग	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	
4.	श्री रामदेव सिन्हा 1908/04.08.56/पटना	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), जलपथ अंचल, राँची	दि. 31.03.13 को श्री मदन मोहन राय की सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी
5.	श्री उमेश कुमार भक्त 1914/02.02.54/ पू. सिंहभूम	तकनीकी सलाहकार रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, जमशेदपुर	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), रूपांकण अंचल, आदित्यपुर	
6.	श्री अनिल कुमार 1915/20.01.56/राँची	कार्यपालक अभियंता सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल गांगूडीह शिविर जमशेदपुर	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), योजना आयोजन अंचल, राँची	दि. 30.04.13 को श्री विनय कुमार की सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी
7.	श्री श्रीनारायण साहू 1918/30.01.54/ रोहतास	कार्यपालक अभियंता कदवन बौध प्रमंडल, नगर उंटारी	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), कदवन बौध अंचल, गढ़वा शिविर मेदिनीनगर	
8.	श्री सकलदेव मिश्र 1926/10.03.53/ सीतामढ़ी	तकनीकी सलाहकार खरकई बौध अंचल, ईचा चालियामा	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, जमशेदपुर	
9.	श्री वासुकीनाथ सिंह 1945/09.01.55/सारण	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को	



1	2	3	4	5
10.	श्री रमण 1949 / 20.12.54 / भोजपुर	कार्यपालक अभियंता नगर विकास विभाग	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	नगर विकास विभाग से सेवा वापस लेते हुए
11.	श्री मोतीलाल सिंह 1955 / 08.01.54 / रोहतास	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को	
12.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह 1957 / 17.11.54 / पटना	तकनीकी सलाहकार ग्रामीण विकास अंचल, रौंछी	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), सुवर्णरेखा बाँध अंचल, चांडिल	दि. 31.03.13 को श्री विनोद राम माहुरी की सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी। ग्रा.वि.वि. से सेवा वापस लेते हुए
13.	श्री अब्दुल क्यूम 1962 / 20.02.55 / औरंगाबाद	तकनीकी सलाहकार औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, चांडिल	
14.	श्री विपेन्द्र सिंह चन्देल 1971 / 19.10.54 / नालंदा	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), रूपांकण अंचल, देवघर	
15.	श्री मु. मोईनुद्दीन 1973 / 18.12.53 / हजारीबाग	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, रौंछी	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), अग्रिम योजना अंचल, दुमका	दि. 30.04.13 को श्री श्याम सुन्दर महतो की सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी
16.	श्री बचनेश्वर ठाकुर 1976 / 21.01.54 / सहरसा	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), जलपथ अंचल, चाईबासा	
17.	श्री नवल किशोर 1978 / 01.01.55 / पटना	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.), सिंचाई अंचल, मधुपुर	ग्रा.वि.वि. से सेवा वापस लेते हुए
18.	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल एम 333 / 02.06.54 / लोहरदगा	कार्यपालक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं.-04 (यॉ.), रौंछी	प्रभारी अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) सिंचाई यंत्रिक अंचल, रौंछी	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. अधीक्षण अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यंत्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्र्य प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें प्रभारी अधीक्षण अभियंता स्वतंत्र चालू प्रभार के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे, वे स्वतः कनीय पद पर आ जायेंगे।

5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

6. अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sheef
12.2.13

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

904

रॉची, दिनांक :- 12-2-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

Sheef
12.2.13

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

904

रॉची, दिनांक :- 12-2-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ महामहिम राज्यपाल के सलाहकार(जल संसाधन) के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर वे स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

Sheef
12.2.13

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)